प्रेस नोट दि0-06.07.2025

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का जीयन कुमार के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 लालगंज प्रतापगढ़ के द्वारा निर्गत NBW फौजवाद न0 163/21 अ0स0 68/1 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित एक नफर वारण्टी 1. इब्राहिम पुत्र रसूलबक्श उम्र करीब 42 वर्ष नि०ग्राम मखदूमपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.इब्राहिम पुत्र रसूलबक्श उम्र करीब 42 वर्ष नि०ग्राम मखदूमपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का जीयन कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता,जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मांधाता पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना मांधाता पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व थाना मांधाता प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह हे०का० बलदेव मौर्य द्वारा दिनांक 06.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2), 87, 65(1) बीएनएस व धारा 5(J)(2)/6 पाक्सो एक्ट

से संबंधित वांछित अभियुक्त, शिवम सरोज उर्फ आर0 के0 सरोज पुत्र ओम प्रकाश सरोज निवासी ग्राम सराय मुरार सिंह थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.शिवम सरोज उर्फ आर0 के0 सरोज पुत्र ओम प्रकाश सरोज निवासी ग्राम सराय मुरार सिंह थाना मांधाता प्रतापगढ

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डेय मय हमराह हे०का० बलदेव मौर्य थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

करैला बाजार फायरिंग प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार, चार देशी बम बरामद — थाना पट्टी पुलिस की बड़ी सफलता

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा फायरिंग में शामिल हमलावरों को अपने घर पर शरण दी गई थी।

बरामदगी के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 206/2025, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अलग से अभियोग पंजीकृत।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करैला बाजार से मंगरौरा रोड पर पूरेदेवजानी जाने वाले रोड से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में घटित फायरिंग की घटना में आरोपियों को अपने घरों में रहने के लिए शरण दी थी।

दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में जानलेवा फायरिंग की गई थी। हमले में वादी के भाई व चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हुए व फायरिंग की चपेट में आकर दो राहगीर को भी गोली लगी। घटना में कुल 09 नामजद एवं कुछ अज्ञात अभियुक्त शामिल थे।

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आमजन का सहयोग अपेक्षित है।

संक्षिप्त प्रेस नोट- फायरिंग की घटना

दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में वादी के भाई एवं चचेरे भाई पर पूर्व विवाद को लेकर शहबाज उर्फ लम्बू, रुकसार, शहरेयार, छंगू, शाहनवाज, जलालुद्दीन आदि द्वारा एक राय होकर अवैध असलहों से जानलेवा फायरिंग की गई तथा लोहे की रॉड से हमला किया गया। फायरिंग के दौरान बाजार में दो राहगीर आलोक पटेल एवं आमिर सुहैल को भी गोली लग गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191 (3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 09 नामजद व्यक्तियों व कुछ अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गईं। गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही, घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक- 06.07.2025 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय के नेतृत्व नें उ0नि0 श्रीप्रकाश राय मय हमराह उ0नि0 श्री श्यामसुन्दर गिरि, हे0का0 धर्मवीर सिंह, का0 सर्वेश कुमार, का0 विजय सिंह चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191 (3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 253ख बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. मो0 इकरार पुत्र मो0 तकी निवासी गहरौली थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष 2. रिजवान खान पुत्र भुल्लन खान निवासी ग्राम गहरौली थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को 04 अदद देशी बम के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करैला बाजार से मंगरौरा रोड पर पूरेदेवजानी जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। उक्त अवैध बम बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 206/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनयम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में घटित फायरिंग की घटना में आरोपियों को अपने घरों में शरण दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 इकरार पुत्र मो0 तकी निवासी गहरौली थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
2. रिजवान खान पुत्र भुल्लन खान निवासी ग्राम गहरौली थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

पुलिस टीम-
उ0नि0 श्रीप्रकाश राय मय हमराह उ0नि0 श्री श्यामसुन्दर गिरि, हे0का0 धर्मवीर सिंह, का0 सर्वेश कुमार, का0 विजय सिंह चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर,जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के कम्पनी गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में व थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 जितेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 06.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87 / 137 (2) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, चन्दन कुमार पुत्र भोलानाथ निवासी मीराभवम चौराहा पाण्डेय का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के कम्पनी गार्डन के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. चन्दन कुमार पुत्र भोलानाथ निवासी मीराभवम चौराहा पाण्डेय का पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।